



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 ई०

आषाढ़ 30, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-03

संख्या- 1882/IV(3)/2026-01(40)/2012

देहरादून, 21 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प० आ०-94

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड 'घ' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला पौड़ी गढ़वाल की नगर पालिका परिषद्, पौड़ी में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

क्र० सं०	नाम/पता	नगर पालिका परिषद् का नाम
1.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० श्री दयाल सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल।	नगर पालिका परिषद्, पौड़ी
2.	श्रीमती हेमलता भट्ट पत्नी श्री प्रदीप भट्ट, पौड़ी।	
3.	श्री सुभाष कुमार पुत्र स्व० श्री मातवर लाल, पौड़ी गढ़वाल। 9690818160	

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।